मध्यप्रदेश विधान सभा

जून--अगस्त, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई, 1990 (आषाढ़ 22, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, देवास स्थित नई आबादी क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से हुई मौत की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) ठाकुर दरबार सिंह/श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अतिवृष्टि से पीड़ित कृषकों को बुआई हेतु बीज उपलब्ध न होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री जालम सिंह पटेल/मनीष कुंजाम, सदस्य, प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानों का संचालन निजी ठेकेदारों को दिये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य सबलगढ़ तहसील के ग्राम रामपुर के पूर्व सरपंच पर प्राण-घातक हमला होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, सदस्य, दुर्ग जिले के नादघाट थानान्तर्गत अनेक ग्रामों में आन्त्र-शोध की बीमारी का प्रकोप होने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी, सदस्य, सीधी जिले के सिंगरौली क्षेत्र में विद्युत टावर हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न मिलने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, मंदसौर जिले के भैंसोदामण्डी क्षेत्र में दहेज लोभियों द्वारा एक नवविवाहिता की हत्या किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री रामानन्द सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव में असामाजिक तत्वों द्वारा हरिजनों के साथ मारपीट किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री बारसा दुलाराम/श्री मनीष कुंजाम, सदस्य बस्तर जिले की दन्तेवाड़ा तहसील के अनेक ग्रामों में टीन की अवैध निकासी की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल के शासकीय चिकित्सालयों में जीवन रक्षक दवाईयों का अभाव होने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री गोपाल भार्गव/रामकृष्ण कुसमरिया, सदस्य, सागर एवं दमोह जिलों के अनेक ग्रामों में हैजा फैलने से हो रही मौत की ओर राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सत्यनारायण केशरवानी, सदस्य, जिला रायपुर के ग्राम गातपार (जनपद पलारी) में मिडिल स्कूल खोले जाने के संबंध में 95 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, ग्यारह नम्बर स्टाप स्थित हाउसिंग बोर्ड की एल. आई. जी. और एम. आई. जी. कालोनी में पर्यावरण सुधार के कार्य कराने के संबंध में 10 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

साढ़े तीन बजे तक निर्धारित समय 8 घंटे (शेष 4 घन्टे 47 मिनिट)

4. वर्ष 1990-91 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

मांग संख्या 1– सामान्य प्रशासन.

मांग संख्या 2– सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.

मांग संख्या 3– पुलिस.

मांग संख्या 4– गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय.

मांग संख्या 56– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित व्यय.

मांग संख्या 21– आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.

मांग संख्या 22–स्थानीय शासन विभाग से संबंधित व्यय.

मांग संख्या 32– जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय.

मांग संख्या 12– ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय.

मांग संख्या 26– संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय.

मांग संख्या 36– परिवहन.

मांग संख्या 37– पर्यटन.

मांग संख्या 46—विज्ञान और टेक्नालाजी.

मांग संख्या 65—विमानन विभाग.

मांग संख्या 69–नगरीय कल्याण विभाग से संबंधित व्यय.

मांग संख्या 70—वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पुलिस.

मांग संख्या 73—वृक्षारोपण, वनीकरण, पर्यावरण एवं पड़त भूमि विकास से संबंधित व्यय.

5. अशासकीय संकल्प

30 मिनट

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:—

"इस सदन का यह मत है कि प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में गरीबी व बेरोजगारी दूर करने के लिये खादी व ग्रामोद्योग का कार्य अनिवार्य रूप से तत्काल प्रारंभ किया जावे."

30 मिनट

(2) श्री शिवराजसिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:—

"इस सदन का यह मत है कि प्रदेश में प्रलोभन, दबाव तथा भ्रमवश विदेशी मिशनरियों द्वारा बड़े पैमाने पर कराये जा रहे धर्मान्तरण को रोकने के लिये तत्काल कदम उठाये जायें."

20 मिनट

(3) कुंवर तेजसिंह सेंधव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:—

"इस सदन का यह मत है कि मालवा अंचल को सूखे की चपेट से बचाने के लिये नर्मदा, क्षिप्रा, कालीसिंध, लिंक प्रोजेक्ट (देवास जिले में पूंजापुरा बागली के पास से) का विस्तृत सव करवा कर इस योजना को स्वीकृति प्रदान की जावे."

20 मिनट

(4) श्री चन्द्रकान्त गुप्ता, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:—

"इस सदन का यह मत है कि शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार या अनियमितताओं की शिकायतों के निपटारे हेतु प्रत्येक जिले में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किये जायें और प्रकरणवार जांच का कार्य ऐसे अधिकारी को दिया जाये जिसका संबंध किसी भी रूप में शिकायत से संबंधित विभाग से न हो."

20 मिनट (5) श्री लक्ष्मीनारायण यादव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

"यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि वह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में इस प्रकार की व्यवस्था करे जिससे कि प्रदेश की लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण में यदि 50 हैक्टेयर तक की वन भूमि डूब में आती है या नहर बनाने में उपयोग होती है या ग्रामीणों के निस्तार में आवश्यक है तो समान मात्रा में वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था कर योजनाओं/निस्तार का कार्य जारी रखने का आदेश स्थानीय कलेक्टर / कमिश्नर को हो. अर्थात् इस प्रकार के प्रकरण केन्द्र को भेजना आवश्यक न हो."

6. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

(1) दिनांक 22 जून 1990 को कृषि मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 1347) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री सूबेदार सिंह, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 26 जून 1990 को वन मंत्री, से पूछे गये नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्रमांक 778) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री तेजसिंह सेंधव सदस्य चर्चा उठायेंगे.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 12 जुलाई, 1990.